एक नजर में

इंदौर मुंबई तेजस एक्सप्रेस 1 जनवरी तक बढ़ाई

इंदौर. बेहतर यात्री प्रतिसाद के बाद रेलवे ने इंदौर मुंबई तेजस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के फेरों को 1 जनवरी 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है. पहले इसे 29 नवंबर तक ही चलना था. इंदौर से मुंबई के लिए संचालित तेजस एक्सप्रेस को यात्रियों से लगातार मिल रहे अच्छे प्रतिसाद को देखते हुए रेलवे ने एक बार फिर इसके फेरों को बढ़ा दिया है. पूर्व घोषणा के अनुसार यह ट्रेन 29 नवंबर के बाद बंद होनी थी, लेकिन मांग को देखते हुए अब इसका संचालन 1 जनवरी 2026 तक जारी रहेगा. यह चौथी बार है जब रेलवे ने इस ट्रेन की अवधि बढ़ाई है. रेलवे जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा ने बताया कि तेजस एक्सप्रेस पूर्व निर्धारित मार्ग, ठहराव और कोच संरचना के साथ ही चलाई जाएगी. मुंबई सेंट्रल-इंदौर के बीच चलने वाली 09085/09086 तेजस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन पहले की तरह ही निर्धारित दिनों में संचालित होगी. गाड़ी संख्या 09085 मुंबई सेंट्रल-इंदौर तेजस स्पेशल 31 दिसंबर तक हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मुंबई से चलेगी. वहीं गाड़ी संख्या 09086 इंदौर-मुंबई सेंट्रल तेजस स्पेशल 1 जनवरी 2026 तक हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को इंदौर से रवाना होगी. बताया गया कि 23 जुलाई 2025 से शुरू हुई इस ट्रेन को यात्रियों से लगातार सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, जिसके चलते रेलवे इसे बार-बार बढ़ा रहा है. बढ़ाई गई अवधि के लिए बुकिंग आज से सभी आरक्षण केन्द्रों और ऑनलाइन पोर्टलों पर शुरू कर दी गई है.

किशोरी से दुष्कर्म में मौसा को तीन बार उम्रकैद

इंदौर. रिश्तों को शर्मसार करने वाले इस जघन्य मामले में कोर्ट ने साफ कहा घर के भीतर तक फैला खतरा महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा करता है. इसके बाद कोर्ट ने अपने अहम फैसले में किशोरी से दुष्कर्म व हत्या के आरोपी उसके मौसा को तीन बार उमैकद की सजा सुनाई. 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म और हत्या के सनसनीखेज मामले में आरोपी मौसा को दोषी पाते हुए कोर्ट ने कठोर सजा सुनाई. अदालत ने आरोपी को तीन अलग-अलग धाराओं में उम्रकैद दी है. फैसले में न्यायालय ने कहा कि रिश्ते में मौसा होकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करना और फिर उसकी हत्या कर देना समाज के लिए बेहद भयावह संदेश देता है. ऐसे हालात में कम सजा देना न तो न्यायोचित है और न ही कानूनसम्मत. अदालत ने टिप्पणी की कि मौजूदा परिवेश में महिलाएं और बच्चियां न सिर्फ बाहर, बल्कि अपने ही घर और रिश्तेदारी के दायरे में भी असुरक्षित होती जा रही हैं. आरोपी की हरकत उसकी कुंठित और विकृत मानसिकता को दर्शाती है, इसलिए कठोर से कठोर दंड आवश्यक है. घटना 21 जून 2022 की है, पीड़िता के पिता ड्राइवर हैं और घटना के समय बाहर थे. मां अपनी दो बेटियों के साथ काम पर गई थी, जबकि छोटा बेटा खेलने गया हुआ था. शाम को घर लौटने पर जब किशोरी नहीं मिली तो मां को चिंता हुई. घर से सटे कमरे में आरोपी मौसा रहता था, जिसका दरवाजा अंदर से बंद था. कई बार आवाज देने के बाद भी प्रतिक्रिया न मिलने पर पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया. कमरा खुलते ही अंदर का दृश्य देखकर सभी दंग रह गए थे. किशोरी का शव जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था. पुलिस की पड़ताल और एफएसएल के सबूतों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में अभियोजन ने पुख्ता साक्ष्य पेश किए, जिन पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने तीन धाराओं में उम्रकैद की सजा सुनाई.

विद्यार्थियों ने इसरो में जाना अंतरिक्ष अनुसंधान विज्ञान

इंदौर. श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस के विद्यार्थियों ने अहमदाबाद स्थित साइंस सिटी और इसरो का शैक्षणिक भ्रमण कर अंतरिक्ष विज्ञान के आधुनिक स्वरूप को करीब से समझा. साइंस सिटी में छात्रों ने वैज्ञानिक मॉडलों और इंटरैक्टिव डिस्प्ले का अवलोकन किया. इसके बाद इसरो में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अनिल सुखेजा ने उन्हें चंद्रयान और मंगलयान सहित भारत के प्रमुख अंतरिक्ष अभियानों की तकनीक और चुनौतियों की जानकारी दी. छात्रों को सैटेलाइट मॉडल, लॉन्चिंग सिस्टम और मिशन कंट्रोल तकनीक को प्रत्यक्ष देखने का अवसर मिला. यात्रा का समापन अक्षरधाम मंदिर के वाटर लेजर शो के साथ हुआ. संस्थान के निदेशक डॉ. जॉर्ज थॉमस ने इसे विद्यार्थियों की वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करने वाला अनुभव बताया.

मंत्री सिलावट ने घायल बालक का हाल जाना

इंदौर. जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने गत दिवस इंदौर-उज्जैन रोड पर हुई सड़क दुर्घटना में घायल हुए बालक सारांश यादव से मेदांता हॉस्पिटल पहुँचकर मुलाकात की. उन्होंने अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों से उपचार की विस्तृत जानकारी ली. उन्होंने सभी आवश्यक चिकित्सीय व्यवस्थाएँ के निर्देश भी दिए. श्री सिलावट ने 13 वर्षीय बालक सारांश यादव, निवासी हाईवे ड्रीम सिटी, सांवेर रोड के कुशलक्षेम पूछते हुए उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की. उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए आश्वस्त किया कि उपचार में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी.

सर्वर डेटा और मोबाइल जब्त, जांच और गहरी

▶ इंडेक्स मेडिकल कॉलेज पर ईडी की बड़ी कार्रवाई

नव भारत न्यूज

इंदौर. एनएमसी निरीक्षण में कथित अनियमितताओं की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने इंदौर स्थित इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में कार्रवाई करते हुए महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत जब्त किए हैं. सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी मामले में आगे और गहराई से पड़ताल कर रही है.

नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) के निरीक्षण में भ्रष्टाचार और गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोपों की जांच के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में दबिश देकर कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सामग्री अपने कब्जे में ली.

ईडी की आधिकारिक जानकारी के अनुसार तलाशी के दौरान कॉलेज से मोबाइल फोन, सर्वर में संग्रहीत डेटा और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं. एजेंसी का कहना है कि यह सामग्री निरीक्षण प्रक्रिया में हुई कथित धांधली की पुष्टि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. सूत्र बताते हैं कि ईडी अब जब्त किए गए सर्वर डेटा और मोबाइल फोन की तकनीकी जांच कर रही है, माना जा रहा है कि इस डिजिटल विश्लेषण के जरिए उन व्यक्तियों, कॉलेज प्रतिनिधियों और बिचौलियों के बीच हुई बातचीत और दस्तावेजों के आदान-प्रदान के सबूत मिल सकते हैं, जिन पर निरीक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप हैं. सूत्रों का कहना है कि देशभर में हुई इस कार्रवाई में इंदौर की लोकेशन सबसे अहम रही, क्योंकि एजेंसी को यहीं से कथित नेटवर्क से जुड़े कुछ प्रमुख सुराग मिले हैं. वहीं अन्य राज्यों में भी ईडी ने अलग-अलग ठिकानों पर तलाशी ली, जिनमें रायपुर, विशाखापट्टनम, वारंगल, कलेक, मेरठ और खगड़िया के सात निजी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं. यहां भी डिजिटल डेटा, फोन और कागजी रिकॉर्ड बरामद किए हैं. अधिकारियों ने बताया कि जब्त सामग्री की फॉरेंसिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. सूत्रों का कहना है कि इस मामले में कई और खुलासे होने की संभावना है और जांच तेजी से जारी है.

महिला ट्रेन की चपेट में आई मौके पर ही हो गई मौत

इंदौर. सिंगापुर टाउनशिप क्षेत्र में एक महिला अपने भाई को विदा करने पटरी तक पहुंची थी, लेकिन लौटते वक्त ट्रेन की चपेट में आकर उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

लसूडिया थाना क्षेत्र के सिंगापुर टाउनशिप में देर शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया. थाना प्रभारी तारेश सोनी ने बताया कि 28 वर्षीय पप्पी पिता मिथुन राठौर की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई, वह भाई को छोड़ने पटरी तक आई थी और वापस लौटते समय हादसे का शिकार हो गई. मृतका के भाई रवि यादव ने पुलिस को बताया कि वह अपनी 7 साल की बेटी अंशु को लेकर कई दिनों बाद बहन से मिलने पहुंचे थे. ट्रैफिक अधिक होने के कारण उन्होंने बाइक पटरी के इस पार ही खड़ी की और पैदल बहन के घर गए. कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापसी के लिए निकले तो बहन उनकी बेटी अंशु को गोद में लेकर उन्हें पटरी तक छोड़ने आई. मामले में रवि का कहना है कि उन्होंने बेटी को लेकर आगे बढ़ना शुरू ही किया था कि कुछ देर बाद फोन आया क्या आप पप्पी के भाई हैं? जल्दी वापस आइए. जब वे मौके पर लौटे तो देखा कि पटरी से थोड़ी दूरी पर बहन का शव पड़ा था. ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. परिवार के हालात बेहद सामान्य बताए गए हैं. पप्पी मजदूरी करती थी, जबकि उसके पति एक कंपनी में हेल्पर हैं. मृतका के दो छोटे बच्चे भी हैं 6 वर्षीय डुग्गू और तीन वर्षीय परी. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एमवाय अस्पताल भेजा, जहां शनिवार को पोस्टमॉर्टम कराया पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

राजा रघुवंशी हत्याकांड में भाई विपिन की गवाही पूरी

▶ दो बार सामने आई सोनम; आरोपियों के हावभाव पर उठे सवाल

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग कोर्ट में राजा के भाई विपिन रघुवंशी की चार चरणों में चली गवाही शुक्रवार को पूरी हो गई. दो दिनों की सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी सोनम को दो बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विपिन के सामने पेश किया, जहां उन्होंने बिना किसी देर किए उसकी पहचान कर ली. कोर्ट में बचाव पक्ष ने विपिन से लंबा प्रतिङ्कपरीक्षण किया, जिसके बाद उनकी गवाही समाप्त घोषित की गई.विपिन ने बताया कि उनके बयान के दौरान सोनम सहित अन्य महिलाओं को स्क्रीन पर प्रस्तुत किया गया. कोर्ट ने पहचान की पुष्टि मांगी, जिसे उन्होंने तुरंत कर दिया. शुक्रवार को गवाही के दूसरे हिस्से में बचाव पक्ष ने कई सवाल किए, लेकिन उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिए. उन्होंने आरोपियों के हावभाव पर गंभीर सवाल भी उठाए. विपिन का कहना है कि सोनम और बाकी आरोपी बिल्कुल सामान्य दिख रहे थे. उनके चेहरे पर न तनाव था, न पछतावा. वे नए कपड़े पहने हुए थे, जिससे लगता है कि शिलॉन्ग में कोई उनकी मदद कर रहा है. विपिन ने दावा किया कि वे राजा को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं. अगर कोर्ट दोबारा बुलाएगी तो भी मैं वापस आऊंगा. मुझे न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, उन्होंने कहा. केस इंटरङ्कस्टेट जुरिस्डिक्शन का होने से शिलांग और इंदौर पुलिस के बीच लगातार समन्वय बना हुआ है. केस डायरी, डिजिटल सबूत और अन्य दस्तावेज शिलांग कोर्ट के निर्देश पर समयङ्कसमय पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. कोर्ट आने वाले दिनों में आरोप निर्धारण की प्रक्रिया तेज कर सकती है. विपिन रघुवंशी ने यह भी बताया कि वे जल्द ही इस केस से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी और सच्चाइयों को सामने लाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि परिवार को भरोसा है कि अदालत पूरे मामले की सच्चाई तक पहुंचेगी और दोषियों को सख्त सजा मिलेगी. यह मामला इंदौर के सबसे चर्चित हत्याकांडों में से एक है, और अब गवाही पूरी होने के बाद सुनवाई के अगले चरण पर सभी की निगाहें टिकी हैं.

फर्जी लिकर चालान घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 70 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां अटैच

नव भारत न्यूज

इंदौर.कई वर्षों से चल रहे फर्जी आबकारी चालान घोटाले पर प्रवर्तन निदेशालय ने सख्त कदम उठाते हुए 20 संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर दिया है. इनकी बाजार कीमत 70 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है. यह कार्रवाई ईडी की पीएमएलए जांच के तहत की गई है.

प्रवर्तन निदेशालय, इंदौर सब-ज़ोनल कार्यालय ने 28 नवंबर को 'फेक लिकर चालान स्कैम' मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 अचल संपत्तियों पर अस्थायी कुर्की के आदेश जारी किए हैं. अटैच की गई संपत्तियों में इंदौर, मंदसौर और खरगोन स्थित जमीन और फ्लैट शामिल हैं. ईडी के अनुसार ये सभी संपत्तियां अलग-अलग शराब ठेकेदारों की हैं और इन्हें अपराध से अर्जित धन से खरीदा गया था.

इस मामले में कार्रवाई रावजी बाजार थाना, इंदौर में दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी. एफआईआर में बताया गया था कि कुछ शराब ठेकेदारों ने ट्रेजरी चालानों में हेरफेर कर सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान पहुंचाया. जांच में सामने आया कि ठेकेदार मूल रूप से कम राशि जमा करते थे, लेकिन बाद में चालान की अंकों में राशि में छेड़छाड़ कर उसे बढ़ा दिया जाता था और फिर शब्दों में राशि की खाली जगह में संशोधित (बढ़ी हुई) रकम भर दी जाती थी. इसके बाद इसी बदले हुए चालान की कॉपी देशी या विदेशी शराब के गोदामों तथा जिला आबकारी कार्यालय में जमा की जाती थी, जिससे कम शुल्क देकर अधिक मात्रा में शराब का स्टॉक उठा लिया जाता था. ईडी की पीएमएलए जांच में स्पष्ट हुआ कि राजू दशवंत, अंश त्रिवेदी और अन्य शराब ठेकेदार मिलकर जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साज़िश के जरिए 49 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई करने में शामिल थे. आरोपियों ने इस अवैध धन को छिपाने, उपयोग करने और वैध दिखाने के लिए कई तरीके अपनाए. ईडी पहले ही इस मामले में मुख्य आरोपियों राजू दशवंत और अंश त्रिवेदी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है. एजेंसी के सूत्रों का कहना है कि आगे की जांच जारी है और आने वाले दिनों में कुछ और कुर्कियों एवं कार्रवाई की संभावना है.

बस की टक्कर से घायल महिला ने तोड़ा दम

▶ परिजन बोले-ऐसी बसों पर लगे लगाम

नव भारत न्यूज

इंदौर. उज्जैन रोड पर शुक्रवार शाम शुक्ला ब्रदर्स की बस से हुए हादसे में घायल महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. शनिवार को एमवाय अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों ने तेज रफ्तार बसों पर कार्रवाई और स्पीड लिमिट लागू करने की मांग उठाई है.

एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी ने बताया कि उज्जैन रोड पर शुक्रवार को हुए गंभीर हादसे में घायल महिला 50 वर्षीय कलाबाई की मौत हो गई. मृतका का शनिवार को एमवाय अस्पताल में पोस्टमॉर्टम कराया. यह हादसा शुक्ला ब्रदर्स के बेड़े में चलने वाली बाणेश्वरी ट्रेवल्स की बस से हुआ था. बस की तेज रफ्तार और लापरवाही को लेकर घटना स्थल पर मौजूद लोगों में काफी आक्रोश था. दुर्घटना के बाद भीड़ ने बस में तोड़फोड़ कर ड्राइवर और क्लीनर से मारपीट भी की थी. इस घटना का वीडियो भी सामने आया था. ज्ञात हो कि हादसा शुक्रवार शाम करीब साढ़े चार बजे हुआ था, बस ने बाइक सवार परिवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें चार लोग घायल हो गए थे. इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई. परिजन मोहम्मद अलीम खान ने बताया कि उनका परिवार पहले नरवल में रहता था और कुछ माह पूर्व कायता, उज्जैन में शिफ्ट हुआ था. शुक्रवार को वे एसआईआर का फॉर्म लेने इंदौर आए थे. शाम को घर लौटते समय पीछे से आई बस ने जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में मोहम्मद आजम की पत्नी कलाबाई की मौत हो गई, मोहम्मद आजम मजदूरी करते हैं और मृतका गृहणी थीं. उनके दो बच्चे हैं. परिजनों ने मांग की है कि तेज रफ्तार में दौड़ने वाली ऐसी बसों पर कार्रवाई की जाए और उज्जैन रोड पर स्पीड लिमिट को सख्ती से लागू किया जाए, ताकि ऐसे हादसों पर रोक लग सके.

हथकड़ी सहित फरार हत्याकांड के आरोपी पर 10 हजार का इनाम घोषित

▶ एसीपी की स्पेशल टीम को सर्च ऑपरेशन की कमान सौंपी

नव भारत न्यूज

इंदौर. एमवाय अस्पताल की चौथी मंजिल से बाथरूम का बहाना बनाकर फरार हुआ विचाराधीन कैदी विशाल उर्फ अक्कू अब पुलिस-प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गया है. हत्या के गंभीर मामले में बंद इस आरोपी पर 10 हजार का इनाम घोषित कर दिया है और उसकी तलाश के लिए एसीपी तुषार सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई है.

सेंट्रल जेल में बंद हत्या के आरोपी 29 वर्षीय विशाल उर्फ अक्कू के एमवाय अस्पताल से फरार होने के मामले में पुलिस ने अब सख्ती बढ़ा दी है. फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है, जबकि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी तुषार सिंह के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बनाई गई है, जो हर सुराग पर काम कर रही है. जेल सूत्रों के मुताबिक, कुछ दिन पहले जेल में काम करते समय उसकी शर्ट में बटन लगाते हुए सुई अचानक मुंह में चली गई थी, जिसे उसने निगल लिया था. पेट दर्द बढ़ने पर एक्स-रे में सुई दिखाई देने के बाद उसे 19 नवंबर को एमवायएच के जेल वार्ड में भर्ती कराया. बुधवार दोपहर करीब 11.25 बजे से 11.50 बजे के बीच उसे कोलोनोस्कोपी जांच के लिए चौथी मंजिल ले जाया गया, जहां वह प्रहरी दीपक शर्मा की अभिरक्षा में बाथरूम जाने का बहाना बनाकर लोहे के पाइपों से नीचे उतरकर हथकड़ी सहित फरार हो गया. घोर लापरवाही सामने आने पर प्रहरी दीपक शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

सर्च ऑपरेशन जारी, सीसीटीवी खंगालें

फरारी के तुरंत बाद पुलिस और जेल प्रशासन हरकत में आया. अस्पताल परिसर और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस टीमों ने रातभर कई ठिकानों और उसके संभावित संपर्कों के घरों पर दबिश दी. एसीपी तुषार सिंह ने बताया कि फरार कैदी को पकड़ने के लिए हर एंगल पर काम किया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि पेट में फंसी सुई के कारण वह अधिक समय तक बिना इलाज के नहीं रह सकता और जल्द ही किसी मेडिकल सुविधा तक जाएगा, जो उसकी गिरफ्तारी का अहम सुराग बनेगा.

10 लाख की लूट के मामले में पुलिस की चार टीमें जंगल-पहाड़ी इलाकों तक सर्च में जुटीं

▶ कर्मचारी की भूमिका पर और गहरे सवाल

इंदौर. ड्रीमलैंड क्षेत्र में शराब ठेकेदार के कर्मचारी से हुई 10 लाख की लूट की वारदात के बाद पुलिस ने जांच की रफ्तार और तेज कर दी है. देर रात तक कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन लुटेरे अब तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं. सीसीटीवी फुटेज और संदेहास्पद पहलुओं के आधार पर जांच और व्यापक की गई है.

महू के व्यस्त ड्रीमलैंड इलाके में कल दोपहर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाहर हुई 10 लाख की लूट का मामला अब पुलिस के लिए चुनौती बन है. वारदात के बाद गठित चार टीमें लगातार इलाके से लेकर बाहरी रूट तक खंगाल रही हैं. मानपुर, कोदरिया, किशनगंज और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस ने देर रात तक दौरे किए, लेकिन अभी तक किसी भी संदिग्ध का सुराग नहीं मिला.वारदात में शामिल दो बदमाशों ने शराब ठेकेदार बद्री फौजी के कर्मचारी हर्षित से बैंक से बाहर निकलते ही बैग लूटा और दो अलग-अलग रास्तों से फरार हो गए थे. सीसीटीवी फुटेज में वे मुंह ढंके दिखाई दे रहे हैं, जिससे पहचान करना मुश्किल हो रहा है. जांच के दौरान पुलिस को कई बिंदु संदिग्ध लगे हैं. प्रारंभिक आकलन के मुताबिक लुटेरों को कर्मचारी की गतिविधियों और भारी राशि निकालने की जानकारी पहले से थी. इसी कारण वे पहले से बैंक के बाहर घात लगाए बैठे थे. सूत्रों के अनुसार इस कोण पर पुलिस विशेष रूप से फोकस कर रही है. एएसपी रूपेश द्विवेदी ने बताया कि टीमें लगातार सर्च में हैं और तकनीकी जांच भी बढ़ाई गई है. उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ सवाल कर्मचारी की भूमिका पर भी उठ रहे हैं, जिन्हें जांच में शामिल किया है. पुलिस का कहना है कि सभी कोणों पर गंभीरता से काम हो रहा है और जल्द ही मामले का पर्दाफाश किया जाएगा. अगर आप चाहें तो इसे लीड फॉर्मेट में और अधिक विस्तारित किया जा सकता है.

बीमाधारक को थमा दिया एक्सपायरी आई ड्रॉप

▶ ईएसआईसी की डिस्पेंसरी में सामने आई लापरवाही

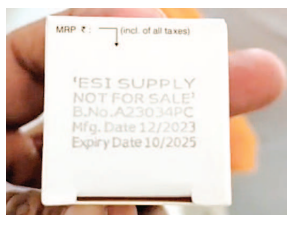

नव भारत न्यूज

इंदौर. नेहरू नगर स्थित ईएसआई डिस्पेंसरी में दवा वितरण में गंभीर लापरवाही सामने आई है. बीमाधारक मरीज को एक्सपायर आई ड्रॉप दे दिया. जिसे उसने उपयोग से पहले घर पर देखते ही रोक लिया.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित नेहरू नगर डिस्पेंसरी से दवा लेने पहुंचे एक बीमाधारक मरीज को आंखों का ऐसा ड्रॉप दे दिया गया, जिसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी . मरीज ने घर लौटकर जब दवा की तिथि जांची तो पता चला कि ड्रॉप एक्सपायर हो चुका है. इसके बाद वह अगले दिन डिस्पेंसरी पहुंचा और मामले की शिकायत दर्ज कराई. शिकायत सुनने के बाद महिला कर्मचारी ने बताया कि संबंधित दवा पूर्व कर्मचारी 'खान साहब' ने वितरित की थी. बताया गया कि खान साहब सेवा निवृत्त होने के बावजूद डिस्पेंसरी में पहले की तरह काम में लगे हुए हैं. मरीज ने सवाल उठाया है कि ऐसी स्थिति में दवा वितरण की जिम्मेदारी किसकी है और एक्सपायर दवा जैसी गंभीर चूक कैसे हो सकती है. बीमाधारकों की सुरक्षा को लेकर इस तरह की लापरवाही पर विभागीय जांच की मांग भी उठ रही है.

एक नजर में | आठ राज्यों के राज्यपाल और 11 राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे

मुख्यमंत्री पुत्र के विवाह समारोह में आज इंदौर एयरपोर्ट पर वीवीआईपी मूवमेंट

नव भारत न्यूज

इंदौर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सुपुत्र के विवाह समारोह के लिए आज इंदौर एयरपोर्ट पर भारी वीवीआईपी मूवमेंट देखने को मिलेगा. देशभर के कई राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री समारोह में शिरकत करेंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पुत्र के विवाह समारोह के लिए आज इंदौर एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. समारोह में भाग लेने के लिए 30 से अधिक वीवीआईपी की आने की संभावना है. सामूहिक विवाह समारोह में आठ राज्यों के राज्यपाल और 11 राज्यों के मुख्यमंत्री आमंत्रित हैं. समारोह में शामिल होने वाले राज्यपालों में आरिफ मोहम्मद खान (बिहार), आचार्य देवव्रत (गुजरात), बंडारू दत्तात्रेय (हरियाणा), थावरचंद गेहलोत (कर्नाटक), लॉस एंजिल्स (नागालैंड), डॉ. हरीबाबू कंभमपाटि (ओडिशा), गुलाबचंद कटारिया (पंजाब), हरिभाऊ किशनराव बांगड़े (राजस्थान) और आनंदीबेन पटेल (उत्तर प्रदेश) शामिल हैं. इसके साथ ही 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में शामिल होंगे. इनमें रेखा गुप्ता (दिल्ली), पेमा खांडू (अरुणाचल प्रदेश), हिमंत बिस्वा सरमा (असम), नीतीश कुमार (बिहार), विष्णुदेव साय, प्रमोद सावंत (गोआ), भूपेंद्र पटेल (गुजरात), मोहन चरण मांझी, नायब सिंह सैनी (ओडिशा), भजनलाल शर्मा (राजस्थान) और योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश) शामिल हैं. केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के आने की भी संभावना है. इसके अलावा कई राज्यों के उपमुख्यमंत्री भी इस भव्य विवाह समारोह में भाग लेंगे. सुरक्षा व्यवस्था और वीआईपी मूवमेंट के लिए एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्रों में कड़े प्रबंध किए गए हैं.

सांवेर में किसानों की फसल और जमीन पर भारी संकट

इंदौर. सांवेर विधानसभा क्षेत्र में किसानों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है. राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रशासन की अनदेखी के कारण ग्राम बरलाई जागीर पीर कराडिया के किसान भारी आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं. किसान नेता हंसराज मंडलोई का कहना है कि सांवेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बरलाई जागीर पीर कराडिया में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं प्रशासनिक कार्रवाइयों के चलते किसानों की फसल बर्बाद हो गई. उनका कहना है कि उनके खेतों के लिए केवल आधा-अधूरा मुआवजा दिया, जबकि उनकी खड़ी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई. किसानों का कहना है कि अरबों रुपए की जमीन को सरकारी मुआवजे में उचित दाम नहीं मिले और उन्हें कौड़ियों के भाव में समेटा गया. इससे इलाके के किसान गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं. स्थानीय किसानों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि उन्हें न्याय और उचित मुआवजा दिलाया जाए,